International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 6, Issue 3, May - June, 2026, pp: 587-592 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

राजस्थान में मीणा जन–जाति की शिक्षा व्यवस्था

डॉ. श्रीफूल मीना
आचार्य इतिहास
स्वर्गीय पंडित नवलकिशोर शर्मा
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक मीणा समाज अषिक्षा के अंधकार में आवृत रहा। इस अषिक्षा ने उनमें सामाजिक, आर्थिक बुराइयों को जन्म दिया। षिक्षा के अभाव में मीणा समुदाय अपने मस्तिष्क को विज्ञान के आधार पर नहीं ढाल सका। वे वैज्ञानिक अविष्कारों से अपरिचित बने रहें। षिक्षा के अभाव में वे कृषि एवं कुटीर व्यवसायों का भी समुचित लाभ नहीं उठा सकें। धार्मिक रूढिवादिता उनको ग्रसित करती ही चली गई। चिकित्सा के क्षेत्र में व जादू टोना आदि में ही विष्वास करते रहें और अपने जीवन को नाना रोगों से ग्रसित एवं अल्पआयु बनाते रहें। षिक्षा के अभाव में ये लोग धनोपार्जन भी नहीं कर सकें। सेठ साहूकारों ने उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका खूब आर्थिक शोषण किया। स्त्रियों को षिक्षा के अभाव में उनको सदैव दयनीय अवस्था में रखा और वे घर की चार दीवारी में बन्द रहकर संसार से अनभिज्ञ बनी रही। अषिक्षित होने के कारण वे अपनी सन्तान का उचित रूप से पालन–पोषण भी नहीं कर सकी और इस प्रकार उनको आदर्ष नागरिक नहीं बना सकी। इस कारण स्वतंत्र भारत में भी वे आरम्भ में देष की स्वतंत्रता का उचित लाभ नहीं उठा सकी। भारत में प्रजातंत्र स्थापित हो गया है। सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में भी गिने–चुने लोग ही इससे लाभान्वित हुए हैं। इसी के परिणामस्वरूप मीणा समुदाय का राजनीतिक एवं मानसिक विकास समूचित रूप से नहीं हो पाया।[1]

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की मूलभूत इकाई हैं। समाज में जो जितना अधिक षिक्षित होगा वह उतना ही सभ्य एवं विकासषील होगा। इसलिए सरकार ने आदिवासियों की जीवन प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए षिक्षा को एक प्रमुख साधन माना और षिक्षा सम्बन्धी अनेक योजनाएँ भी उनके लाभार्थ क्रियान्वित की हैं। षिक्षा एक वह साधन है जिसके माध्यम से मानव एक सुनागरिक बनकर देष की राष्ट्रीय सरकार के संचालन में सच्चा भागीदार बन सकता हैं तथा उसे सफल बना सकता हैं। षिक्षा को प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी माना गया है।

किन्तु मीणा समाज ने दीर्घ काल तक इसके महत्व को नहीं समझा। सरकार ने स्वतंत्रता को सफल बनाने हेतु इन्हें राजकीय सेवाओं में आरक्षण व छात्रवृत्ति प्रदान कर मीणा समुदाय के नवयुवकों को षिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया।

वैसे तो बीसवीं सदी के पूर्वाद्ध तक समस्त भारत में ही षिक्षा का अभाव था। ब्रिटिष सरकार ने कुछ कॉलेजों व स्कूलों की स्थापना कर कुछ षिक्षा का विकास करना अवष्य चाहा था। परन्तु इस षिक्षा के पीछे उनका उद्देष्य केवल भारत में क्लर्क व दुभाषिए ही उत्पन्न करना था। अतः सरकार का ध्यान केवल स्वर्ण हिन्दुओं तक ही केन्द्रित रहा। इस कारण मीणा समाज के नवयुवक षिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आ सकें। परन्तु इसके अलावा और भी इसके कारण थे जैसे मीणें 90 प्रतिषत उन गांवों में रहते थे और गांवों में स्कूल स्थापित नहीं हुए थे। मीणों का प्रमुख व्यवसाय कृषि होने के कारण वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। इसके बजाय वे उनसे कृषि कार्य कराना ही श्रेयस्कर समझते रहें। स्वर्ण जाति के अध्यापक उन्हें पढ़ाना पसंद नहीं करते थें। इसके बजाय वे कृषि कार्य में उनका उपयोग करना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। उधर दयनीय आर्थिक अवस्था के कारण भी मीणा समाज के नवयुवक षिक्षा पाने में असमर्थ रहते थें। अन्धविष्वासी व पुरातन रूढ़ियों के दास होने के कारण भी वे षिक्षा क्षेत्र में दूर ही रहे। अतः कृषि कार्य में माता–पिता के सहयोगी बने रहे और जंगल में पशुओं को चराते रहे। परन्तु देष की राष्ट्रीय सरकार ने जब अपना नवीन संविधान लागू कर दिया तो षिक्षा पाना प्रत्येक भारतवासी का मौलिक अधिकार हो गया। सरकार इस तथ्य से भली–भांति परिचित थी कि अषिक्षित नागरिकों से प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता।

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 6, Issue 3, May - June, 2026, pp: 587-592 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

अतः राष्ट्रीय सरकार ने षिक्षा के विकास एवं उसके विस्तार पर यथोचित ध्यान दिया और मीणा समुदाय के बच्चे भी षिक्षा पाने के अधिकारी एवं सहभागी हो गये।

आरक्षण नीति के अन्तर्गत तीन प्रकार के आरक्षण प्रदान किये गये।

1. शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण
2. राजनीतिक आरक्षण
3. राजकीय सेवाओं में आरक्षण

शैक्षणिक आरक्षण

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त राष्ट्रीय सरकार द्वारा देष में षिक्षा के प्रचार एवं प्रसार की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। षिक्षा का समुचित विकास भी किया गया है। हर गॉव में पाठषालाएँ खोली गई है। हर क्षेत्र में षिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की गई। आज भी सरकार निरक्षरता मिटान हेतु कृत संकल्प है और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएँ चला रही है। गॉव–गॉव में राजस्थान के मुख्यमंत्री स्व. राजीव गांधी के नाम पर पाठषालाएं स्थापित कर रहे है। शैक्षणिक आरक्षण के अन्तर्गत मीणा वर्ग के बच्चों को प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाने लगी है। आज भी बुक बैंक एवं ''बुक ग्राण्ट'' के अतिरिक्त उन्हें दूसरे देषों में अध्ययन के लिए भी उन्हें छात्रवृत्ति देकर भेजने का प्रावधान रखा गया है। षिक्षण संस्थाओं में प्रवेष के समय भी इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई हैं। ये सब सुविधाएँ सही तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं, इसको देखने के लिए विषेष संभाग बनाए गए हैं। सारी सुविधाओं के बावजूद स्नातक स्तर तक भर्ती हुए जन–जाति के छात्रों का 2 प्रतिषत से ज्यादा नहीं है एवं विज्ञान व कृषि के क्षेत्र में तो वह यह 1 प्रतिषत से भी कम है। स्नातकोत्तर स्तर पर स्थिति और भी दयनीय है। राज्यवार स्थिति का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मीणा जन–जाति के बच्चों की भर्ती का प्रतिषत इनकी जनसंख्या के अनुपात में कितना कम है।

शिक्षा के क्षेत्र में मीणें अन्य समुदायों से काफी पिछड़े हुए है। इसका कारण यह है कि हमारे ग्रामीण मीणों ने शहरों में रहकर भी ग्रामीण परिवेष को गले लगाये रखा है। आदिवासी मीणा समाज के लोगों की मानसिकता में रूढ़िवाद तथा अंधविष्वास आज भी घर किए हुए है।

स्वतंत्रता के 54 वर्ष उपरान्त भी गाँवों में षिक्षा की स्थिति अधिक अच्छी नहीं हो पाई है। यद्यपि इस दिषा में सरकार की ओर से विकासषील योजनाओं के माध्यम से षिक्षा–प्रसार के हर प्रकार के प्रयास जारी है। वर्तमान समय में तो यही कहा जा सकता है कि यदि कथित प्रगतिषील योजनाओं को बन्द कर दिया जावे तो शायद जो प्रगति आज देखने में आ रही है वह भी नहीं आती। सरकार ने दृढ निष्चय के साथ इन वर्गों के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन शताब्दियों का पिछड़ापन 54 वर्षों में कैसे दूर हो सकता हैं? इसलिए जो भी उपलब्धियाँ हुई है वे कुल समस्या के परिपेक्ष्य मे काफी कम दृष्टिगत होती है। आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से अनुसूचित जन–जाति के लोगों को कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। इन सुविधाओं का लाभ इस वर्ग के लोगों को मिला भी है परन्तु इन सारी उपलब्धियों के बावजूद आज भी हमारे देष में षिक्षा की दषा निराषाजनक ही है। 1921 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर रिसायत में षिक्षित पुरूष केवल 23 थे जबकि स्त्रियों की संख्या नहीं के बराबर थी।[2]

मांडा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बच्चों मे षिक्षा प्रसार के लिए कई योजनाएँ चला रही है। इनमें साधरण श्रेणी के छात्रावास तथा आश्रम छात्रावास भी है। सवाईमाधोपुर जिला मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। इस जिलें में कुल मीणा जन–जाति के लोग 4,40,258 है। इनमें पुरूषों की संख्या 2,37,348 और स्त्रियों की संख्या 2,20,910 है। निःसन्देह राजस्थान में षिक्षा का विस्तार तीव्रता से हो रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार इसका प्रतिषत 55 हो गया है और गाँवों में अब इसका विकास अधिक हुआ। तथापि मीणा जन–जाति षिक्षा के क्षेत्र में अभी पीछे है।

इस जिले में उकरूंद के अतिरिक्त बखाड़ा, वजीरपुर, कटकड़, नांगल, शेरपुर, करणपुर और सपोटरा में भी गांव के साधनहीन छात्रों को पढ़ने का अच्छा अवसर प्राप्त है।[3] 1991

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 6, Issue 3, May - June, 2026, pp: 587-592 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

की जनगणना के अनुसार षिक्षित मीणा जन–जाति की संख्या 2,38,677 है। इसमें साक्षर मीणा स्त्रियों की संख्या 133211 है।

अनुसूचित जाति और जन–जाति को स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले छात्र–छात्राओं को बी.एड. प्रषिक्षण देने के लिए राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, सरदारषहर एवं जयपुर स्थित बी.एड. महाविद्यालयों में सुविधा प्राप्त है। वर्ष 1983–84 में कोटा, अजमेर, हिण्डौन तथा श्री गंगानगर के महाविद्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई हैं।[4] 1991 की जनगणना के अनुसार स्नातकों की संख्या 13195 है। इसमे स्त्रियों की संख्या 456 है। स्नातकोत्तरों की संख्या 6374 हैं। इसमें स्त्रियों की संख्या 381 है।

अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों या अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिषत स्थान सुरक्षित किए गए हैं। ग्रुप 'सी' और 'डी' के पदों पर स्थानीय और प्रान्तीय आधार पर नियुक्तियाँ की जाती हैं। प्रत्येक प्रान्त और केन्द्र शासित प्रदेष में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में भी स्थान सुरक्षित रहते हैं। ग्रुप 'बी', 'सी' और 'डी' में होने वाली विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की नियुक्तियों में साढ़े सात प्रतिषत स्थान सुरक्षित है और ग्रुप 'सी', 'डी' व 'ए' में पदोन्नति में भी साढ़े सात प्रतिषत इनके स्थान सुरक्षित हैं। जनवरी, 1981 तक केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के व्यक्ति आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. के पदों पर अच्छी संख्या में नियुक्त हो गये थे।[5] मीणा जाति मे सर्वप्रथम राजस्थान के प्रषासनिक अधिकारी बनने वाले व्यक्ति जी. रामचन्द्र है।[6]

योजना कार्यक्रम

योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को रोजगार में सहायता देने के लिए दो कार्यक्रम परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केन्द्र व षिक्षण व पथ प्रदर्षन केन्द्र प्रारम्भ किये गये। मार्च, 1983 तक इस प्रकार के 60 केन्द्र थे।

1. **छात्रवृत्तियाँ**

   अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती थी। 1978 से यह छात्रवृत्ति 60 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से दी जा रही हैं। 1985 तक अनुसूचित जातियों व जनजातियों के 8 लाख छात्रों को मैट्रिक के बाद की और 105 लाख छात्रों को मैट्रिक पूर्व स्तर की छात्रवृत्तियाँ देने का प्रावधान अभी तक चल रहा हैं। महाविद्यालय के छात्रों को आरक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है।

2. **बालिका छात्रावास**

   जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों की छात्राओं के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं है, वहाँ नए बालिका छात्रावास बनाए जा रहे है या उनके विस्तार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। चौथी योजना में इस कार्य के लिए 1.96 करोड़, पांचवी योजना में 3. 77 करोड़ और वर्ष 1981–82 में 12.75 करोड़ रूपये खर्च किये गये। छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य हेतु 13 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है।

3. **जनजातीय अनुसंधान संस्थाएँ**

   इस समय देष में जनजातीय सम्बन्धी अनुसंधान करने के लिए ग्यारह अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं। इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक 30 सदस्यीय केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार परिषद का गठन किया गया हैं। यह परिषद अनुसंधान संस्थाओं के नीति–निर्माण में पथ–प्रदर्षन का कार्य करती है।

4. **विदेषों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ**

   वर्ष 1955 से ही विदेषों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातियों के 6 छात्रों की दी जाती हैं।

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 6, Issue 3, May - June, 2026, pp: 587-592 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

5. **राज्य क्षेत्र योजनाएँ**

केन्द्रीय योजनाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा भी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों को तीन भागों में बाँटा गया है।

(क) षिक्षा

मैट्रिक पूर्व की छात्रवृत्तियाँ और स्थायी फण्ड, ट्यूषन तथा शुल्क में छूट, षिक्षा संबंधी उपकरणों की व्यवस्था, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, आश्रम स्कूलों की स्थापना, स्कूल भवनों एवं छात्रावासों के निमार्ण के लिए अनुदान।

(ख) आर्थिक विकास

भूमि तथा सिंचाई की व्यवस्था, बैंक, कृषि, उपकरण, खाद तथा बीज की आपूर्ति, कुटीर उद्योगों का विकास, संचार व्यवस्था का विकास, सहकारिता स्थानान्तरित कृषि करने वालों को बसाना, मुर्गियों, भेड़–बकरियाँ व सुअर पालने की व्यवस्था पर ऋण देना।

(ग) स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाएँ

चिकित्सा सुविधाएँ, पेयजल योजनाएँ, मकान तथा मकान बनाने हेतु जमीन की व्यवस्था, कानूनी सहायता, राज्य स्तर की गैर–सरकारी संस्थाओं को अनुदान देना।

इस प्रकार से केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनूसूचित जाति व जन–जाति के आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए कई योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनसे जन–जाति सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकें। इन सुविधाओं के अन्तर्गत ही मीणा आदिम जाति समुदाय ने भी वर्तमान समय में काफी उन्नति की है। अगर मीणा समुदाय का प्राचीन शैक्षणिक स्तर का अवलोकन किया जाये तो शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में इनका स्थान शून्य ही था किन्तु वर्तमान समय में न केवल पुरूष वर्ग उच्च प्रशासनिक पदों को प्राप्त किए हुए है बल्कि स्त्रियाँ भी उनसे पीछे नहीं है। शैक्षणिक क्षेत्र में मीणा समाज की कई लडकियाँ व्याख्याता पदों पर कार्यरत है तथा कुछ राज्य प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मीणा समुदाय विकासोन्मुख है और यदि 19वीं सदी के मीणों की स्थिति का 20वीं सदी के मीणों की स्थिति से तुलना की जाए तो उनमें अपूर्व विकास का बोध होता हैं।[7]

मीणा समाज में जागरूकता तथा उनका राजनीति में प्रवेश

आज अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के लोग राज्य की कुल जनसंख्या का करीब पांचवाँ हिस्सा है। शताब्दियों से ये लोग व्यक्तिगत रूप से स्वच्छन्द रहे पर जन समाज में तिरस्कृत रहें। संविधान में निर्माताओं ने यह महसूस किया कि अब देश में सबकों समानता का अधिकार प्राप्त है। अतः समाज का कोई वर्ग पिछडा नहीं रहना चाहिए। यही सोचकर संविधान निर्माताओं ने उनके सर्वागीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की। इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए देश की योजनाओं में विशेष प्रावधान रखे गय एवं उन्हें लागू किए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने सच्चे ह्रदय से इन पिछडे मीणा जन–जाति को भी अन्य पिछडी जातियों के साथ आरक्षण प्रदान कर दिया किन्तु शताब्दियों का पिछड़ापन अर्द्धशताब्दी में ही किस प्रकार दूर हो सकता है? आदिम जातियों को तीन प्रकार के संरक्षण प्रदान किये गये है। राजनीतिक आरक्षण में संविधान की धारा 330 एवं 332 के अनुसार देश की आदिम जातियों के लिए संसद तथा राज्य की विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपातानुसार स्थान सुरक्षित रखे गए है। यह आरक्षण संविधान के लागू होने के साथ ही आरम्भ हो गया है। साथ ही साथ इन आदिवासियों के लिए सरकारी पदों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 6, Issue 3, May - June, 2026, pp: 587-592 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

सेवाओं में भी क्रमशः 5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिए गए है।[8]

स्व. मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिया के काल में मांग की गई कि राजस्थान में 7 लाख मीणें है। राजस्थान विधानसभा में भी पर्याप्त संख्या में मीणें विधायकों के रूप में है। अतः उनके अनुपात के अनुसार राज्य के मंत्रिमण्डल में भी उन्हें स्थान दिये जा रहे है। मास्टर श्री भोलानाथ (सांसद, अलवर), श्री रिद्विचन्द्र (विधायक गंगापुर), श्री रमेश चन्द्र (सांसद भीलवाड़ा) व श्री जगन्नाथ पहाडिया (केन्द्रीय उपमंत्री) आदि ने भी इसका समर्थन किया। इस मांग के फलस्वरूप सर्वप्रथम श्री समर्थलाल मीणा को बारहवीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यह वास्तव में मीणा जन–जाति के लिए अति गौरव की बात है। इसी प्रकार श्री रामकुमार मीणा ने भी विधानसभा में मीणों का प्रतिनिधित्व किया है। इनके अलावा डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, श्री कन्हैया लाल मीना, श्री महेन्द्र मीणा, श्री रघुवीर मीणा आदि कई मीणा विधायक है। जबकि भीखा भाई केबिनेट मंत्री पद पर अपनी मृत्यु तक कार्य करते रहें। परसादी लाल मीणा राज्य स्तर के मंत्री बने हुए है। अभी हाल में रामस्वरूप मीणा को मंत्री पद पर आसीन कर दिया है। विधायक एवं मंत्री पदों को सुशोभित करने के साथ आज मीणें कई विभागों के निदेशक, उपसचिव व पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी बने हुए है। श्री यादराम जी मीणा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले मीणा समाज के प्रथम व्यक्ति है। यह सब तथ्य इस बात के द्योतक है कि आज राजस्थान के मीणें दिनोंदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे है। यह बात पुरूषों के साथ ही नहीं वरन् महिला समाज के साथ भी है। लोकसभा में सांसद के रूप में श्रीमती उषा मीणा रहीं और जसकोर मीणा महिला आज भी सांसद बनी हुई हैं। भीखा भाई की पुत्री कमला भील (मीणा) भी मंत्रिमण्डल में रह चुकी हैं और बाद में वह राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हुई। वर्तमान समय में सपोटरा से विधायक के रूप में श्रीमती कमला मीणा निर्वाचित हैं। इनके अलावा मीरा श्री निवास आई.पी.एस. कुमारी लता सेहरा आई.ए.एस. कुमारी निशा मीणा, आर.ए.एस. कुमारी सुनीता मीणा, आर.पी.एस. आदि देश व राज्य की सर्वोच्च प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर उच्च स्थान पा रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला मीणा समाज भी प्रगति के पथ पर तीव्र अग्रसर है और राष्ट्र के कार्यों में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही है।

शिक्षा के विकास के साथ–साथ मीणा समाज आज हर क्षेत्र में प्रगतिशील बना हुआ है। शिक्षा के प्रभाव से उनके विचारों में परिवर्तन आया हैं। भारतीय समाज में तिरस्कार की दृष्टि से न देखे जाकर वे अब सम्मान की दृष्टि से देखे जाने लगे है। यह कारण है कि दसवीं विधानसभा से उनकी विधायक संख्या में निरन्तर वृद्वि हो रही हैं और वे अपने आरक्षित स्थानों से ही चुनाव न लड़कर सामान्य स्थानों से भी चुनाव लड़ने का साहस बटोर रहे हैं। यह उनके विकसित एवं लोकप्रिय होने का द्योतक है। संसद, राज्य विधानसभा, ग्राम–पंचायतों में उचित स्थान पाकर वे अपनी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दे रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि आज का मीणा समाज आदिम मीणा समाज नहीं रहा है। शिक्षा व शहरी प्रभाव से वे अपने जीवन को रूढ़िवादी परम्पराओं से मुक्त कर आधुनिक प्रगतिशील विचारों की धारा में बह रहे हैं। अब राजस्थान की मीणा समाज राजस्थान में मत्स्य राज्य के पुनर्गठन की भी मांग करने लगी हैं जिसमें पुनः मीणा का ही वर्चस्व रहेगा।[9]

विशेष :– मीणा जन–जाति समाज के शिक्षा क्षेत्र में मार्ग प्रदर्शक के रूप में हम स्व. गुलाबचन्द्र जी गोठवाल को ले सकते है। वे प्रथम मीणा थे जिन्होनें राजस्थान की समस्त मीणा समाज में

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 6, Issue 3, May - June, 2026, pp: 587-592 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

स्नातक होने का गौरव प्राप्त किया। आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा आप फारसी और उर्दू के भी अच्छे ज्ञाता थे। आपके समय में देशी रिसायतों में उर्दू–फारसी का महत्व था। न्यायालयों की भाषा उर्दू ही थी।

संदर्भ सूची :–

1. गुप्ता एवं शर्मा – भारतीय सामाजिक समस्याएं पृ. 190, 1985
2. जनगणना रिपोर्ट सन् 1921
3. झूंथा लाल नांडला – ढूंढाड : संस्कृति और परम्परा पृ. सं. 93
4. गुप्ता एवं शर्मा – भारतीय सामाजिक समस्याएं पृ. 195, 1985
5. अरावली उद्घोष, अंक 10 अक्टूबर, 1990 पृ. 75–76
6. गुप्ता एवं शर्मा – भारतीय सामाजिक समस्याएं पृ. 265–270, 1985
7. पानगडिया – राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम, पृ 29–30
8. मुक्त मानव बुलेटिन नं. 27, राजस्थान प्रिन्टिंग वर्क्स, जयपुर पृ. 6
9. श्री राम स्वरूप मीणा – अध्यक्ष मीणा राष्ट्रीय विकास सभा से साक्षात्कार